

जता है, तो पीस की नवीनता को रक्षित होगा।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्रारम्भिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमन-2000
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विषय यह जाने की सिद्धि
- ✓ संस्था को समग्र-समय पर निरन्तर सहायता के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एउ-आईटीआई/पीसीआई/आई/से आरपी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल्पित गये विधि-विधान-अधिकारियों-सहायता-दे-सो-निर्देशों एवं निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, द्वारा कल्पित गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो कार्पेसी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारम्भिक शिक्षा, द्वारा कल्पित गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेसी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एउ/पीसीआई/आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (समाप्ति) जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निरन्तर सहायता आश्वासन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की दैनिकीयिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण आदि प्रकाशित कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ रोजगार देने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यकताएं
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रारम्भिक संबंधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्धता द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संकलन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था सम्बद्धता समायोजित करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एउ-आईटीआई/पीसीआई/आई संस्था की सम्बद्धता समायोजित कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता रद्दों का अनुपालन न किये जाने अथवा रद्दों का उत्सर्जन किये जाने की सिद्धि में नियमनुसार अनुसंधान

फ़ोन- प्रारम्भिक-परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रारम्भिक-

प्रधानाचार्य/निर्देशक/HIRA SINGH YADAV COLLEGE OF PHARMACYGORARI, SAIDPUR, GHAZIPOUR

Hira Singh Yadav
Gorari, Ghazipur